फा.सं.4-4/2021/एनाआईओएस/मूल्यांकन/परि.प्र.

अप्रैल- मई, 2022 की सार्वजनिक परीक्षा तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षाओं का आयोजन (परीक्षाओं के आयोजन के दौरान कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए अनुसरण किए जाने वाले निवारक उपाय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी से लिए गए हैं।)**/Conduct of April-May , 2022 Public Examination and Vocational Course Examinations** (Adapted from SOP on preventive measures to be followed while conducting examinations to contain spread of COVID-19, issued by GoI, Ministry of Health & Family Welfare)

कोविड - 19 महामारी के संबंध में परीक्षा केंद्रों के लिए सामान्य निर्देश
General Instructions to Examination Centres regarding Covid-19 Pandemic

चूँकि एनआईओएस **अप्रैल- मई, 2022** में माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों के लिए सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करेगा, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक परीक्षाओं के आयोजन के दौरान परीक्षा केंद्रों द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनिवार्यत: अनुसरण किया जाए/ As NIOS shall conduct the Public Examination for Secondary/Senior Secondary Courses and examination for Vocational Courses in April-May , 2022, it has been decided that the following guidelines shall have to be mandatorily followed by the Examination Centres during Public Examinations:

1. संपूर्ण परीक्षा केंद्र के फर्श तथा दीवारों, दरवाजों, द्वारों पर प्रतिदिन कीटाणुनाशक से छिड़काव किया जाए/Entire examination centre floors and walls, doors, gates, should be sprayed with disinfectant daily.
2. परीक्षा अधिकारियों द्वारा हर समय मास्क तथा दस्तानों का प्रयोग किया जाए/Mask and gloves be used by examination functionaries at all the time.
3. प्रवेश द्वार, परीक्षा कक्षों, स्टाफ/पर्यवेक्षक कक्षों इत्यादि में सेनिटाइज़र की बोतलों की व्यवस्था होनी चाहिए और इन्हें नियमित रूप से फिर से भरा जाए/Sanitizer bottles should be arranged at the entry gate, examination rooms, staff/observer room, etc. and should be replenished regularly.
4. वाशरूम में साबुन तथा पानी उपलब्ध होना चाहिए। उनकी प्रतिदिन सफाई करके कीटाणुरहित किया जाए/Soap and water must be available in washroom. They must be cleaned and disinfected daily.
5. शिक्षार्थियों के बैठने का स्थान (डेस्क और कुर्सी) प्रतिदिन अच्छी तरह से साफ किए जाएं/Candidate Seating Area should be thoroughly sanitized daily (desk and the chair).
6. सभी दरवाज़ों के हैंडल, सीढ़ियों की रेलिंग, लिफ्ट के बटन इत्यादि को कीटाणुरहित किया जाए/All door handles, staircase railing, lift buttons, etc. should be disinfected.
7. सभी कूड़ेदानों को प्रतिदिन साफ किया जाए/ All the trash bins should be cleaned daily.
8. स्टाफ द्वारा केंद्र में रिपोर्ट करते ही नीचे दिए गए सुझाव के अनुसार, उन्हें स्व-सत्यापन तथा स्व-घोषणा जल्द से जल्द की जानी चाहिए/Staff verification and self-declaration as suggested below must be done as soon as they report at the Centre
   क. परीक्षाकर्मी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में स्व-घोषणा पत्र अवश्य जमा करें/Examination functionary must submit self-declaration about health status.

ख. स्टाफ के प्रवेश द्वार पर उनका तापमान जांचा जाए/Temperature check must be done at staff entrance point.

ग. यदि कोई परीक्षा कर्मी तापमान के मानक को पूरा नहीं करता है, तो उसे तुरंत परीक्षा केंद्र छोड़ने के लिए कहा जाए/If any examination functionary fails to meet temperature requirement, he/she will be asked to leave the examination centre immediately.

9. संबंधित सरकारी विभागों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मार्गदर्शिका के अनुसार सभी स्थानों पर सफाई तथा स्वच्छता की स्थिति रखी जाए/Cleanliness and hygienic conditions as per safety and health advisories of the concerned government departments are to be maintained at all places.

10. सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए उचित संकेत, चिह्न, पोस्टर इत्यादि उचित स्थान पर प्रदर्शित किए जाएं/Proper signages, symbols, posters etc. should be displayed at appropriate place to maintain social distancing.

11. प्रत्येक कार्मिक तथा शिक्षार्थी को 'आरोग्य सेतु' ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी जाए/Downloading of 'Arogya Setu' App may be advised for every staff and students.

12. प्रवेश तथा निकास द्वारों पर भीड़ इकट्ठा न होने दें/Avoid crowding at entry and exit points.

13. भीड़भाड़ न हो, इसके लिए प्रवेश के सभी द्वार खोल दिए जाएं/Open all the gates of entry for avoiding over crowd.

14. वरिष्ठ कार्मिकों को प्रवेश तथा निकास की निगरानी करें। जहां शिक्षार्थी परीक्षा केंद्र का द्वार खुलने के इंतजार में खड़े हों वहां कम से कम 02 मीटर की दूरी पर उचित चिह्न लगाए जाएं। शिक्षार्थियों को एक-एक करके बाहर निकलने की अनुमति दी जाए/Senior staff should monitor the entry and exit. There should be proper markings with at least 02 meter distance where learners should stand while waiting for opening of the examination centre gate. Exit of learners should be permitted one by one only.

15. यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग हो, चेहरे पर मास्क पहने हों, हाथों को सेनेटाइज करें/Thermal Screening of Learners, wearing of face masks, sanitizing of hands etc. be ensured.

16. यदि आवश्यक हो तो थर्मल स्क्रीनिंग के बाद परीक्षार्थियों की तलाशी ली जाए। तलाशी में शामिल होने वाले कार्मिक दस्तानों के अतिरिक्त तीन परत वाले मास्क पहनेंगे। ऐसे कार्मिक हर बार अपने दस्ताने बदलते हुए हाथों की उचित सफाई रखें/Frisking of examinees, if needed, shall be undertaken after thermal screening. Personal involved in frisking shall wear triple layered medical mask in addition to gloves. Proper hand hygiene shall be maintained by such personal every time they change their gloves.

17. शारीरिक रूप से दूरी रखने के मानदण्डों के पालन के लिए लिफ्ट में लोगों की संख्या को सीमित किया जाए/Number of people in the elevators shall be restricted, duly maintaining physical distancing norms.

18. यदि आवश्यकता हो, तो व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाए और उन्हें नियमित रूप से कीटाणुरहित रखा जाए/Provisions of wheelchair, if warranted, should be ensured and these should be disinfected regularly.

19. विशेष आवश्यकताओं वाले परीक्षार्थी के मामले में (सीडब्ल्यूएसएन) जो, लेखक के साथ हैं, परीक्षार्थी तथा लेखक दोनों मास्क पहनें तथा पर्याप्त शारीरिक दूरी के साथ बैठें/In case of children with special needs (CWSN) availing a scribe, both the candidate and the scribe must wear the masks and be made to sit with adequate physical distancing.

20. निरीक्षक प्रश्न पत्रों/उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण से पहले अपने हाथ अवश्य साफ करें। परीक्षार्थी भी निरीक्षकों से ये कागज़ात प्राप्त करने तथा उन्हें पहले करने से पहले अपने हाथ साफ करेंगे।

उत्तर पुस्तिकाओं को एकत्र करने तथा पैक करने के प्रत्येक चरण में हाथों को साफ किया जाए/The invigilator is required to sanitise his/her hands prior to distribution of Question Papers/Answer Sheets. The examinees will also sanitize their hands before receiving such papers and handing them back to invigilators. The collection and packing of the Answer Sheets, at every stage will involve sanitization of the hands.

21. ड्यूटी के दौरान निरीक्षक निरंतर मास्क तथा दस्ताने पहनें/The Invigilators, while on duty, should be continuously wearing mask, and proper hand gloves.
22. शिक्षार्थियों को उपस्थिति पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले तथा बाद में अपने हाथों को साफ करने के लिए कहा जाए/The Learners should be asked to sanitize their hands before and after signing the Attendance Sheet.
23. बुखार, खांसी और जुकाम के लक्षण वाले शिक्षार्थियों को एक अलग कमरे में बैठाया जाए/Learners having symptoms of fever, cough and cold should be made to sit in a separate room.
24. **शारीरिक दूरी को ध्यान में रखते हुए, संस्थाओं में परीक्षा के लिए बैठने की उचित दूरी को पूरा करने हेतु पर्याप्त कमरों की व्यवस्था की जाए। दो शिक्षार्थियों के बीच कम से कम दो मीटर की दूरी होनी चाहिए/Keeping in view, the physical distancing, institutions should have adequate rooms capacity to meet the proper seating arrangement for examination. Minimum distance between two learners should be 02 meters.**
25. शौचालयों में तथा हाथ धोने के लिए पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए/जाए/Adequate supply of water in toilets and for hand washing should be ensured.

(एस.के.प्रसाद)(S.K.Prasad)
निदेशक (मूल्यांकन)/Director (Evaluation)

वितरण/Distribution:

1. अध्यक्ष महोदया के सूचनार्थ निजी सहायक (अध्यक्ष कार्यालय)/PA (CPO) for kind information of Hon'ble Chairperson please.
2. उप निदेशक (गुप्त/मूल्यांकन/परिणाम प्रकोष्ठ) को आवश्यक कार्रवाई हेतु/Dy. Director (Secret/Evaluation/Result Cell) for necessary action please.
3. सभी क्षेत्रीय निदेशकों को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे क्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट पर अपलोड करें और तदनुसार परीक्षा केंद्रों में सभी प्रबंध सुनिश्चित करें/ All Regional Directors with a request to upload in Regional Centres website and to ensure all arrangements in Examination centres accordingly.
4. एसए/पी को एनआईओएस वेबसाइट तथा परीक्षा केंद्रों के डैशबोर्ड पर अपलोड करने हेतु/ SA/P for uploading on NIOS website and Examination Centres dashboard.
5. गार्ड फाइल/ Guard file.

कोविड - 19 महामारी के विशेष संबंध में शिक्षार्थियों के लिए दिशा-निर्देश

Important Instructions to learners with special reference to Covid-19 Pandemic

1. शिक्षार्थी चेहरे के मास्क और/अथवा दस्ताने अवश्य पहनें और एक छोटी पारदर्शी हैंड सैनिटाइजर की बोतल साथ लाएं/Learner must wear face mask and/or hand gloves and may carry a small hand sanitizer bottle.
2. परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते समय लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग पंक्ति बनाई जाएं तथा 02 मीटर की सामाजिक दूरी रखी जाए/At the time of entry into the examination centre, separate queue shall be formed for boys and girls and social distance of 02 meters shall be maintained.
3. परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर, प्रत्येक शिक्षार्थी का तापमान थर्मल स्क्रीनिंग द्वारा जांचा जाएगा और यदि कोई शिक्षार्थी शारीरिक तापमान के मानकों के अनुसार नहीं है, तो उसे उस दिन परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी/At the entry of examination centre, the temperature of each learner shall be checked by thermal screening and in case a learner fails to meet the criteria of temperature, he/she shall not be permitted to take examination on that day.
4. बुखार, खांसी और जुकाम के लक्षण वाले शिक्षार्थी को या तो अलग कक्ष में बैठाया जाएगा अथवा उस दिन परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी/ Learner having symptoms of fever, cough and cold shall be either made to sit in a separate room or shall not be allowed to appear in the exam on that day.
5. परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के लिए, अभ्यर्थी अप्रैल- मई, 2022 के लिए सार्वजनिक परीक्षा हॉल टिकट तथा अन्य मान्य पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट अथवा पैन कार्ड आदि के साथ एनआईओएस द्वारा जारी मूल पहचान पत्र भी अवश्य लाएं/For entering the examination centre, candidate must bring the original Identity Card issued by NIOS along with Public Examination hall ticket for April-May, 2022 and a valid photo identity proof like Aadhaar Card, Passport or PAN card etc.
6. एनआईओएस परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, कैमरा, थैला, कैल्कुलेटर और अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इत्यादि ले जाना प्रतिबंधित है। शिक्षार्थी अपनी एक पानी की पारदर्शी बोतल ला सकते हैं/Carrying Mobile Phones, Cameras, Bags, Calculators and any other electronic gadgets etc. to the NIOS Examination Center is prohibited. The learner may carry a personal transparent water bottle.
7. शिक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त समय से पहले पहुँचने की सलाह दी जाती है/The learner is advised to reach the examination centre sufficiently in advance.
8. परीक्षा समाप्त हो जाने पर क्रमबद्ध तरीके से एक बार में एक शिक्षार्थी बाहर आए/On completion of exam, the learner should move out in an orderly manner – One candidate at a time.

नोट : ये सभी निर्देश प्रत्येक परीक्षार्थी/शिक्षार्थी के हॉल टिकट पर दर्शाए जाएं।

Note: All these instructions are to be displayed on the Hall Ticket of each examinee/learner.

* * *